28/8

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी
आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार
दिनांक 14/10/3 को पेश हो

14/10/3

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी
आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार
दिनांक 22/12/3 को पेश हो

22/12/3

पत्रावली पेश। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। अपीलार्थी ने ज्ञापन देकर अवसर चाहा। पूर्व में भी कई अवसर दिये जा चुके हैं तथा अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा कुछ पक्ष के सहमति से प्रारम्भिक बहस करने का अनुरोध करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक बहस जारी की है। अतः उभयपक्ष के तर्क सुने बाद विवादित भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत् पारित किया जाना न्यायोचित है। अतः ~~बाद बहस~~ की प्रार्थना-पत्र प्रथमदृष्टया स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष के आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा से पालन किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 492, 1694, 1629, 1634, 1644, 1663, 1664, 1665, 1717, 1714, 1715, 1665, 3737 के स्थान पर पटवारहल्का पिपराली तहसील बाबिया सीकर की भूमि पर तोड़फोड़ बाद ई-1/19 बनवाने व भूमि शामिल काम संबंध, रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली नियमानुसार नम्बर से कमाई, बाकि बहस हो। नियमानुसार हस्तान्तरण सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर